

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 जून 2020—ज्येष्ठ 15, शक 1942

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती पॉली साहा ध. प. श्री प्रदीप कुमार साहा, उम्र 42 वर्ष, निवासी-केन्द्रीय विद्यालय के सामने, मकान नंबर-81/जे., एम. जी. रोड, हाटकचोरा, जगदलपुर तहसील व जिला बस्तर (छ. ग.) पिन कोड 494001 की हूँ. यह कि मेरी पुत्री पायल साहा जो कि केन्द्रीय विद्यालय जगदलपुर में अध्ययनरत है. उसके कक्षा दसवीं के शैक्षणिक प्रमाण पत्र व अन्य रिकार्ड में मेरा घरेलू नाम प्रिया साहा दर्ज है. जबकि मेरा वास्तविक नाम श्रीमती पॉली साहा है जो कि मेरे समस्त शासकीय अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज है. मैं अपनी पुत्री के समस्त शालेय रिकार्ड में मेरे नाम को परिवर्तित कर वास्तविक नाम श्रीमती पॉली साहा दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ.

अतः अब मुझे श्रीमती पॉली साहा (Smt. Poly Saha) ध. प. श्री प्रदीप कुमार साहा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

श्रीमती प्रिया साहा
(Smt. Priya Saha)
पति-श्री प्रदीप कुमार साहा
निवासी-केन्द्रीय विद्यालय के सामने,
मकान नंबर-81/जे., एम. जी. रोड,
हाटकचोरा, जगदलपुर,
तह. व जिला-बस्तर (छ. ग.)
पिन कोड -494001

नया नाम

श्रीमती पॉली साहा
(Smt. Poly Saha)
पति-श्री प्रदीप कुमार साहा
निवासी-केन्द्रीय विद्यालय के सामने,
मकान नंबर-81/जे., एम. जी. रोड,
हाटकचोरा, जगदलपुर,
तह. व जिला-बस्तर (छ. ग.)
पिन कोड -494001

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती पी. ललिता कुमारी ध. प. श्री पी. लक्ष्मणा राव, उम्र 34 वर्ष, निवासी-मार्फत हेयर कटिंग, मकान नं.-119, मदर टेरेसा नगर, कैम्प 1, वार्ड नं.-20, पोस्ट-सुपेला, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम ललिता कुमारी उप्परपल्ली था मेरे आधार कार्ड में पोतनपल्ली ललिता कुमारी तथा मेरे बच्चों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में पी. ललिता दर्ज है। मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती पी. ललिता कुमारी रख ली हूँ। तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब मुझे श्रीमती पी. ललिता कुमारी (Smt. P. Lalitha Kumari) ध. प. श्री पी. लक्ष्मणा राव (Shri P. Lakshmana Rao) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

ललिता कुमारी उप्परपल्ली
(Lalitha Kumari Upparapalli)
पोतनपल्ली ललिता कुमारी,
(Pothanapalli Lalitha Kumari)
(पी. ललिता) (P. Lalitha)
पति- श्री पी. लक्ष्मणा राव
(W/o- Shri P. Lakshmana Rao)
निवासी-मार्फत हेयर कटिंग,
मकान नं.-119, मदर टेरेसा नगर, कैम्प-1, वार्ड नं.-20,
पोस्ट-सुपेला, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती पी. ललिता कुमारी
(Smt. P. Lalitha Kumari)
पति- श्री पी. लक्ष्मणा राव
(W/o- Shri P. Lakshmana Rao)
निवासी-मार्फत हेयर कटिंग,
मकान नं.-119, मदर टेरेसा नगर, कैम्प-1, वार्ड नं.-20,
पोस्ट-सुपेला, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती सारिका गहाने कोदलीकर ध. प. श्री प्रशांत पाण्डुरंग कोदलीकर, उम्र 40 वर्ष, निवासी-भिलाई फायर सर्विस, फायर स्टेशन, क्वा. नं.-ए/13, बी. एस. पी. मेनगेट के पास, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के फायर बिग्रेड विभाग में कार्यरत हूँ। जिसमें मेरा नाम सारिका प्रशांत कोदलीकर दर्ज है। मेरे ड्रायविंग लायसेंस में सारिका गहाने, मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में गहाने सारिका तथा अन्य दस्तावेजों व आधार कार्ड में सारिका भोजराज गहाने दर्ज है। मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती सारिका गहाने कोदलीकर रख ली हूँ। तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब मुझे श्रीमती सारिका गहाने कोदलीकर ध. प. श्री प्रशांत पाण्डुरंग कोदलीकर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

सारिका प्रशांत कोदलीकर,
सारिका भोजराज गहाने,
सारिका गहाने,
गहाने सारिका
पति-श्री प्रशांत पाण्डुरंग कोदलीकर
निवासी-भिलाई फायर सर्विस, फायर स्टेशन,
क्वा. नं.-ए/13, बी. एस. पी. मेनगेट के पास, भिलाई,
तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती सारिका गहाने कोदलीकर
पति-श्री प्रशांत पाण्डुरंग कोदलीकर
निवासी-भिलाई फायर सर्विस, फायर स्टेशन,
क्वा. नं.-ए/13, बी. एस. पी. मेनगेट के पास, भिलाई,
तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पोकला वेंकटेश्वरा राव आत्मज स्व. पी लक्ष्मण स्वामी, उम्र 56 वर्ष, निवासी-फ्लैट नं.-403, बी. ब्लॉक, यूनिवर्सल हाउसिंग अपार्टमेंट, सिंधिया नगर, दुर्ग (छ. ग.), पूर्व पता-क्वा. नं.-8 ए. सड़क-29, सेक्टर-7, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ। मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व सर्विस रिकार्ड में मेरा लघु नाम पी. वेंकटेश्वरा राव (P. Venkateswara Rao) दर्ज है। मैं अपना नाम परिवर्तित कर पूर्ण नाम पोकला वेंकटेश्वरा राव (Pokala Venkateswara Rao) रख लिया हूँ। तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे पोकला वेंकटेश्वरा राव (Pokala Venkateswara Rao) आ. स्व. पी लक्ष्मण स्वामी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

पी. वेंकटेश्वरा राव
(P. Venkateswara Rao)
पिता-स्व. पी लक्ष्मण स्वामी
निवासी-फ्लैट नं.-403, बी. ब्लॉक,
यूनिवर्सल हाउसिंग अपार्टमेंट सिंधिया नगर, दुर्ग
पूर्व पता-क्वा. नं.-8 ए., सड़क-29, सेक्टर-7,
भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

पोकला वेंकटेश्वरा राव
(Pokala Venkateswara Rao)
पिता-स्व. पी लक्ष्मण स्वामी
निवासी-फ्लैट नं.-403, बी. ब्लॉक,
यूनिवर्सल हाउसिंग अपार्टमेंट सिंधिया नगर, दुर्ग
पूर्व पता-क्वा. नं.-8 ए., सड़क-29, सेक्टर-7,
भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नेकराम डोयले आत्मज श्री विश्वनाथ, निवासी-वर्तमान निवासी-प्लॉट नं.17, श्याम वाटिका कॉलोनी, सड़क-25, आनंद नगर, जुनवानी, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) पूर्व पता-मकान नं.-64 एफ., सड़क-16, सेक्टर-2 भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ। मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम नेकराम दर्ज है जो कि अपूर्ण है। मैंने अपने नाम के साथ उपनाम “डोयले” “DOYALE” जोड़कर नया व पूर्ण नाम/उपनाम नेकराम डोयले रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे नेकराम डोयले (Nekram Doyale) आ. श्री विश्वनाथ के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

नेकराम (Nekram)
पिता-श्री विश्वनाथ
वर्तमान निवासी-प्लॉट नं.-17, श्याम वाटिका कॉलोनी,
सड़क-25, आनंद नगर, जुनवानी, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)
पूर्व पता-मकान नं.-64 एफ., सड़क-16,
सेक्टर-2, भिलाई नगर,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

नेकराम डोयले
(Nekram Doyale)
पिता-श्री विश्वनाथ
वर्तमान निवासी-प्लॉट नं.-17, श्याम वाटिका कॉलोनी,
सड़क-25, आनंद नगर, जुनवानी, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)
पूर्व पता-मकान नं.-64 एफ., सड़क-16,
सेक्टर-2, भिलाई नगर,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, भागवत प्रसाद नागवंशी, आत्मज स्व. गणेश राम, उम्र 45 वर्ष, जाति गाड़ा, निवासी-क्वा. नं.-23, डी. सी. पॉकेट, मरोदा सेक्टर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ। मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम भागवत प्रसाद (Bhagwat Prasad) दर्ज है। जो कि अपूर्ण है। मैं अपने नाम के साथ उपनाम “नागवंशी” (Nagwanshi) जोड़कर नया पूर्ण नाम/उपनाम भागवत प्रसाद नागवंशी रख लिया हूँ। तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे भागवत प्रसाद नागवंशी (Bhagwat Prasad Nagwanshi) आ. स्व. गणेश राम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

भागवत प्रसाद
(Bhagwat Prasad)

पिता-स्व. गणेश राम
निवासी-क्वा. नं.-23, डी. सी. पॉकेट,
मरोदा सेक्टर, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

भागवत प्रसाद नागवंशी
(Bhagwat Prasad Nagwanshi)

पिता-स्व. गणेश राम
निवासी-क्वा. नं.-23, डी. सी. पॉकेट,
मरोदा सेक्टर, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला-बालोद (छ. ग.)

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक//उपबा/परि./2020/32.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. बरही पं. क्र. 2416 विकासखंड-बालोद, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है। कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. बरही पं. क्र. 2416 विकासखंड-बालोद जिला बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ।

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री पी. के. मेश्राम/अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया।

मुकेश कुमार ध्रुव,
उप पंजीयक.